

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-19092022-238919
SG-DL-E-19092022-238919असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 421]	दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 19, 2022/भाद्र 28, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 256
No. 421]	DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 19, 2022/BHADRA 28, 1944	[N. C. T. D. No. 256

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भूमि एवं भवन विभाग

(भूमि अधिग्रहण शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 19 सितम्बर, 2022

सं.फा. 8(1)/2016/भूमि एवं भवन/भूमि अधिग्रहण/3687.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 2740 (अ) एवं दिनांक 21 जुलाई, 2015 की अधिसूचना का.आ. 2004 (अ) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन (सामाजिक प्रभाव, आंकलन तथा अनुज्ञा) में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2014 के नियम 4 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु दिल्ली पुलिस द्वारा सभापुर गांव, शाहदरा की राजस्व संपदा में पुलिस स्टेशन सोनिया विहार, दिल्ली के निर्माण हेतु अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के संबंध में दिनांक 13 जून, 2017 की अधिसूचना फा.सं. 8/2/9/2015/भूमि एवं भवन/भूमि अधिग्रहण/2373 के द्वारा चिन्हित भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली-110002 को सामाजिक प्रभाव आंकलन का अध्ययन करने तथा सामाजिक प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन तैयार करने के लिए सामाजिक प्रभाव आंकलन इकाई के रूप में निर्दिष्ट करते हैं।

यह भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली-110002 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर सामाजिक प्रभाव आंकलन का अध्ययन करेगा।

राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल,
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अशोक कुमार यादव, उप-सचिव (भूमि एवं भवन)

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

(Land Acquisition Branch)

NOTIFICATION

Delhi, the 19th September, 2022

F.No. 8(1)/2016/L&B/LA/3687.—In the exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 4 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact, Assessment and Consent) Rules, 2014, read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 2740(E) dated 21st October 2014, read with S.O. 2004 (E) dated 21st July 2015, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to assign the Indian Institute of Public Administration, Indraprastha Estate, Ring Road, New Delhi 110002 which was identified as Social Impact Assessment Unit vide Notification No. F. 8/2/9/2015/L&B/LA/2373 dated 13th June 2017 to carry out Social Impact Assessment Study and to prepare Social Impact Assessment report for acquisition of land, which the Delhi Police intends to acquire land for public purpose for construction of Police Station Sonia Vihar, Delhi in the revenue estate of village Sabhapur, Shahdara.

The Indian Institute of Public Administration, Indraprastha Estate, Ring Road, New Delhi 110002 shall carry out the Social Impact Assessment study as per the provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 within a period of six months from the date of publication of this notification.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor,

National Capital Territory of Delhi,

ASHOK KUMAR YADAV, Dy. Secy. (L&B)